संख्या-16/2016/1162/49-3-2016-100(19)/2010

प्रेषक,

राकेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 24 नवम्बर,2016

विषय-पूर्व भण्डारण योजनान्तर्गत पूर्व भण्डारित उर्वरकों पर देय व्याज की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: 195/कृषि-निवेश/बजट, दिनांक 14 जुलाई, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्वरक प्रीपोजीशनिंग योजनान्तर्गत रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 करोड़ (रू0 सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष ब्याज मद में निम्न विवरण एवं शर्तो के अनुसार **रू0 14,47,10,616.00**(रू0 चौदह करोड़ सैंतालिस लाख दस हजार छः सौ सोलह मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :--

पूर्व भण्डारण योजनान्तर्गत उर्वरकों के व्यय पर ब्याज का विवरण :--

धनराशि रू0 में

माह	ब्याज मद
अप्रैल,2016	5,90,10,797.00
मई,2016	8,56,99,819.00
योग--	14,47,10,616.00

योग- (रू0 चौदह करोड़ सैंतालिस लाख दस हजार छः सौ सोलह मात्र)

3- आयुक्त एवं निबन्धक,सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ एवं वित्त नियंत्रक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत हुयी है और उक्त धनराशि को अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय तथा यह भी पुष्टि कर ली जायेगी कि व्यय को प्रस्तावित अनुमोदित योजना के अनुसार ही स्वीकृत किया जा रहा है।

4- उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था तथा संगत नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- वित्तीय वर्ष 2016-17 में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22मार्च, 2016 में प्राविधानित निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित की जाय।

--2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- धनराशि के आहरण एवं व्यय से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत की जा रही धनराशि मा0 मंत्रि-परिषद के निर्णयों व शासनादेशों के अनुरूप है।

7- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ को इस शासनादेश द्वारा निर्गत की जा रही धनराशि स्वीकृत धनराशि की अनुमन्यता का परीक्षण कर आडिट रिपोर्ट दिनांक 31-12-2016 तक उ0प्र0शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

8- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखा शीर्षक "2425-सहकारिता-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-05- रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना-00-27-सब्सिडी " के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-2-1011/दस-2016, दिनांक: 08-11-2016 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राकेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 16/2016/1162(1)/49-3-2016, तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- प्रबन्ध निदेशक,यू0पी0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0,32स्टेशन रोड, लखनऊ ।
6- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0(नवें तल), इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।